



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
रुसंसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

क्रमांक : 16/रा.सं.कें./अर्पित//2019-57
दिनांक : 19 नवंबर, 2020

सूचना

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन क्रमांक F.No.1-14/2020-PN.II दिनांक 04 नवंबर, 2020 के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तहत स्वयं (SWAYAM) के माध्यम से हिंदी विषय में उच्च शिक्षा संकाय के लिए ऑनलाइन शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (अर्पित) 2019 [Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) 2019] 'रीतिकालीन हिंदी साहित्य' को पुनः अर्पित 2020 के लिए संचालित किया जा रहा है। इच्छुक प्रतिभागी स्वयं (SWAYAM) के वेबपोर्टल पर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर दिनांक 20 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक पंजीयन (Registration) कर सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

कादर-नवाज
(कादर नवाज खान)
कार्यकारी कुलसचिव
19/11/2020

प्रति – विश्वविद्यालय वेबसाइट